बिहार सरकार
राज्य आयुक्त नि:शक्तता का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-15
ई-मेल : scdisability2008@gmail.com
फोन नं0-0612-2215041

आम-सूचना

विदित है कि दिव्यांगजनों के अधिकार एवं इससे सम्बन्धित मामलों के विषय में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अधिनियमित है। तत्आलोक में दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2016 एवं बिहार राज्य दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 अधिसूचित किये जा चुके हैं व वर्तमान में राज्य में प्रवृत है।

अधिनियम के अनुसूची अनुसार निम्न 21 प्रकार की दिव्यांगता को **Specified Disability** की श्रेणी में रखा गया है।

1. चलन्त संबंधी दिव्यांगता, 2. मांसपेशीय दुर्विकास, 3. ठीक किया हुआ कुष्ठ, 4. बौनापन, 5. प्रमस्तिष्क घात, 6. अम्ल हमले की पीड़ित, 7. कम दृष्टि, 8. दृष्टिहीनता, 9. श्रवण क्षति, 10. सुनने में कठिनाई, 11. वाक और भाषा दिव्यांगता, 12. बौद्धिक दिव्यांगता, 13. विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता, 14. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, 15. मानसिक रूग्णता, 16. क्रोनिक स्त्रायविक स्थिति, 17. बहुल काठिन्य, 18. पार्किन्सन रोग, 19. हीमोफीलिया, 20. थैलेसीमिया, 21. सिकल सेल रोग

अधिनियम के अध्याय-10/उक्त नियमावलियों में **Specified Disability** के लिए प्रमाण-पत्र निर्गत करने के प्रावधान उल्लिखित है। अधिनियम की धारा-34 के अन्तर्गत प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में न्यूनतम 4 प्रतिशत सीटें **Persons with Bench Mark Disabilities** के लिए आरक्षित किये जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-13062 दि0-12.10.2017 द्वारा आदेश निर्गत किया जा चुका है। अधिनियम की धारा-31 के अन्तर्गत छः से अठारह वर्ष की उम्र के बेंच मार्क दिव्यांगता प्राप्त प्रत्येक बच्चे को अपने चुनाव के अनुसार नजदीकी अथवा विशेष **विद्यालय** में नि:शुक्ल शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है। अधिनियम की धारा-32 के अन्तर्गत सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों में **Persons with Bench Mark Disabilities** के लिए न्यूनतम **5%** सीटें आरक्षित किये जाने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 80-82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार को दिव्यांगजनों से जुड़े परिवादों को सुनने एवं उसके निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की गई है।

दिव्यांगजनों व विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं उनके अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने अधिकारों एवं अन्य मामलों से जुड़े परिवादों के सम्बन्ध में राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय को पत्र, ई-मेल माध्यम से सूचित कर उनके निष्पादन हेतु अनुरोध अपेक्षित है।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,